न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश) .....

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक............/2016..
निग - 1100 - II - 16

B.O.R.
15 MAR 2016

1. नरेन्द्र कुमार जैन तनय स्व. गोरे लाल जैन उम्र 52 वर्ष,

2. प्रदीपकुमार जैन तनय स्व. श्री गुलाबचन्द्र जैन उम्र 51 वर्ष,

3. रामऔतार तनय गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 59 वर्ष,

4. नारायणदास तनय श्री मुलई राम सोनी उम्र 55 वर्ष,

सभी निवासी देवेन्द्रनगर, तहसील देवेन्द्रनगर, जिला पन्नाम0प्र0.....आवेदकगण

"बनाम"

शासन मध्य प्रदेश --..... अनावेदक

निगरानी विरूद्ध रा.प्र.क्रं. 42-अ-6-अ-वर्ष -- 2006-07 मे पारित आदेश दिनांक 5.11.07 पारित द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, पन्ना वृत्त" ककरहटी तहसील पन्ना जिनके द्वारा अवैधानिक तरीके से बिना रिकार्ड अवलोकन किये आवेदकगण के भू-स्वामीस्वत्व की आराजी को म0प्र0शासन दर्ज किये जाने का आदेश पारित कियागया है से दुःखित होकर प्रस्तुत।

निगरानी अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सं. 1959

24
29/03/16

मान्यवर,

आवेदकगण निम्न लिखित तथ्यो व आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करते है-

अनिल चौबे

1. यह कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस
प्रकार थे-कि"ग्राम चोपडा तहसील पन्ना वर्तमान मे तहसील देवेन्द्रनगरस्थित आराजी
नंबर 997, के जुज भाग पर आवेदकगण का वर्ष 1984 के पूर्व कब्जा होने के कारण
भूमि स्वामी स्वत्व एवं कब्जे के आधार पर लगातार कब्जा पाए जाने के कारणवर्ष
1985-86 मे अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा आवेदकगण के नाम विधिवत
[illegible] का पंजीयन किया जाकर संपूर्ण जांच उपरांत आवेदकगण के पक्ष मे आराजी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1100-दो/2016 जिला पन्ना

नरेन्द्र विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 42/अ-6-अ/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 05-11-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) सदस्य 08/3/19	